

सं०-7/अ.औ.स्थानीय-14-01/2018 07(7)A

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

13

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना।

निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।

निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना।

पटना, दिनांक : 07-06-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विपत्र कोड-20-2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹13,01,95,450/- ( तेरह करोड़ एक लाख पंचान्चे हजार चार सौ पच्चास) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹13,01,95,450/- ( तेरह करोड़ एक लाख पंचान्चे हजार चार सौ पच्चास) रु. मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विपत्र कोड- 20-2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. दवा भंडार एवं सामग्री एवं पूर्तियों इकाई के राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, पटना / निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना / निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना / निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना / उपाधीक्षक, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना / संबंधित औषधालय / अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के भुगतान के लिए उप आवंटन एक मुश्त करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यरत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


←

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
9. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
10. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लायी गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणों प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

  
(सच्चिदानंद चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 07(7)0

/पटना, दिनांक : 07-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्थानीय अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

  
(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव  
रजा

विद्युत् विवरणी

ब्यस शीर्ष-22110-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्याय औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष-विषय कोड-20-2210012000005 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आवंटन

क्रम	खिला / संस्थान का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मुकाम भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	मात्र व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का इंधन एवं रखरखाव	दुरुमाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वर्ध/पोषक	किराया महशूल एवं कर	सामग्री एवं पूर्तियाँ	देवा भंडार	सविदा सेवाएँ	मशीने एवं उपकरण	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(05-01)	(11-01)	(13-01)	(13-02)	(13-03)	(13-04)	(13-05)	(13-06)	(14-01)	(21-01)	(21-02)	(28-02)	(52-01)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	सिविल सर्जन, पटना	20000000	30000000	70000000	3000000	1400000	5000000	579400000	314050	50000	50000	50000	20000	9000000	20000	23000	90000	500000	5000000	20000000	10000000	67954050	3680,3674/18.5.18
2	निदेशक, च्यु. माडिन्स रोड अस्पताल, पटना	4000000	6000000	1400000	80000	28000	100000	11608000	0	15000	15000	15000	10000	700000	10000	10000	70000	3000000	3000000	20000000	700000	18453000	
3	निदेशक, लोकनायक जयकाश नारायण अस्पताल, राजबंसीनगर, पटना	8200000	12300000	28700000	150000	57400	205000	23782400	0	15000	15000	15000	10000	700000	10000	10000	70000	3000000	3000000	20000000	1500000	31427400	
4	निदेशक, सेंट्रल बर्ड हिक, जयशमा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना	30000000	45000000	10500000	70000	21000	75000	8716000	0	15000	15000	15000	10000	700000	10000	10000	70000	3000000	0	20000000	500000	12361000	
कुल		352000000	528000000	123200000	600000	246400	880000	102046400	314050	95000	95000	95000	50000	3000000	50000	50000	300000	1400000	11000000	8000000	3700000	130195450	

(तिरह करोड़ एक लाख पचास हजार चार सौ पचास रु.) मात्र

07/06/18  
सरकार के विशेष सचिव  
एन.ए.

07/06  
07-06-18

## उपबंध की स्थिति -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
		3	4	5
1	2			
1	वेतन (0005-01-01)	75870000	35200000	40670000
2	जीवन यापन भत्ता (0005-01-03)	102430000	52800000	49630000
3	मकान किराया भत्ता (0005-01-04)	37939000	12320000	25619000
4	परिवहन भत्ता (0005-01-05)	1226000	600000	626000
5	चिकित्सा भत्ता (0005-01-06)	436000	246400	189600
6	अन्य भत्ता (0005-01-07)	1369000	880000	489000
7	योग 20-2210.01.200.0005.01 वेतन	219270000	102046400	117223600
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0005-06-01)	1000000	314050	685950
9	यात्रा व्यय (0005-11-01)	200000	95000	105000
10	कार्यालय व्यय (0005-13-01)	200000	95000	105000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0005-13-02)	500000	95000	405000
12	दूरभाष (0005-13-03)	100000	50000	50000
13	विद्युत प्रभार (0005-13-04)	4000000	3000000	1000000
14	विधि प्रभार (0005-13-05)	110000	50000	60000
15	वर्दी / पोषाक (0005-13-06)	100000	50000	50000
16	किराया महसूल एवं कर (0005-14-01)	600000	300000	300000
17	प्रशिक्षण व्यय (0005-20-03)	2931000	0	2931000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0005-21-01)	5000000	1400000	3600000
19	दवा भंडार (0005-21-02)	32400000	11000000	21400000
20	अनुक्षण एवं मरमत (0005-27-02)	5000000	0	5000000
21	सविदा सेवाएँ (0005-28-02)	20000000	8000000	12000000
22	मशीनें एवं उपकरण (0005-52-01)	8200000	3700000	4500000
कुल योग:-		299611000	130195450	169415550

07(4)A

07-06-18

सरकार के विशेष सचिव  
रक्षा